Ph.: Off.: 2633233/2955977
aryawani.ngp@gmail.com

|| ओ३म् ||

दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय

आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Brief Report

Brief Report of Project / Field/ Internship Work (1.3.3)

Name of the Project Undertaken	" Human Rights ki report "	
Academic Session	2023-24	
Organizing Department/ Committee	political science	
Total Number of Students Participated in the Project	15	
Brief Report	The Project entitled - " Human Rights ki report" undertaken by the Department of political science during the session of 2023-24 under the guidance of Internal Quality Assurance Cell of the Institution. Total 10 students participated in the project activity and successfully completed the project. The completion certificate has been given to the students. All students found it very interesting to learn through the experiential learning. They enjoyed the project work.	
Criterion :1	Metric no-1.3.3	
Signature of Co-Ordinator	Signature & Stamp of IQAC Co-Ordinator	Signature of & Stamp of Principal

Ph.: Off.: 2633233/2955977
aryawani.ngp@gmail.com

|| ओ३म् ||

दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय

आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Students Information

S.N.	Name of Student	Program	Class
01.	Mayavati R. Lilhare	B. A	III year
02.	AMISHA SANJAY FULZELE	B. A	III year
03.	ANAMIKA DHANRAJ RAHANGDALe	B. A	III year
O4.	ANCHAL BHAGWAN KSHIRSAGAR	B. A	III year
05.	BHUMI MUKESH DAGOR	B. A	III year
06.	DURGESHWARI SUBHASHCHANDRA TIVNIHA	B. A	III year
07.	GAYATRI DULICHAND PARDHI	B. A	III year
08.	HARSHA THAWARDAS BHAMBHANI	B. A	III year
09.	HEENA PARVEEN RAHAMATULLAH SHEIKH	B. A	IIIyear
10.	JANVI SUNIL NAVGHARE	B. A	III year
11.	KANCHAN GAJANAN KURSANGE	B. A	III year
12.	KASHISH PRAMOD SAKHRE	B. A	III year
13.	PRACHI JAGDISH PATEL	B. A	III year
14.	PRANALI ASHOK KALBANDE	B. A	III year
15.	PRANALI MAHENDRA PATIL	B. A	III year

Front Page of Project

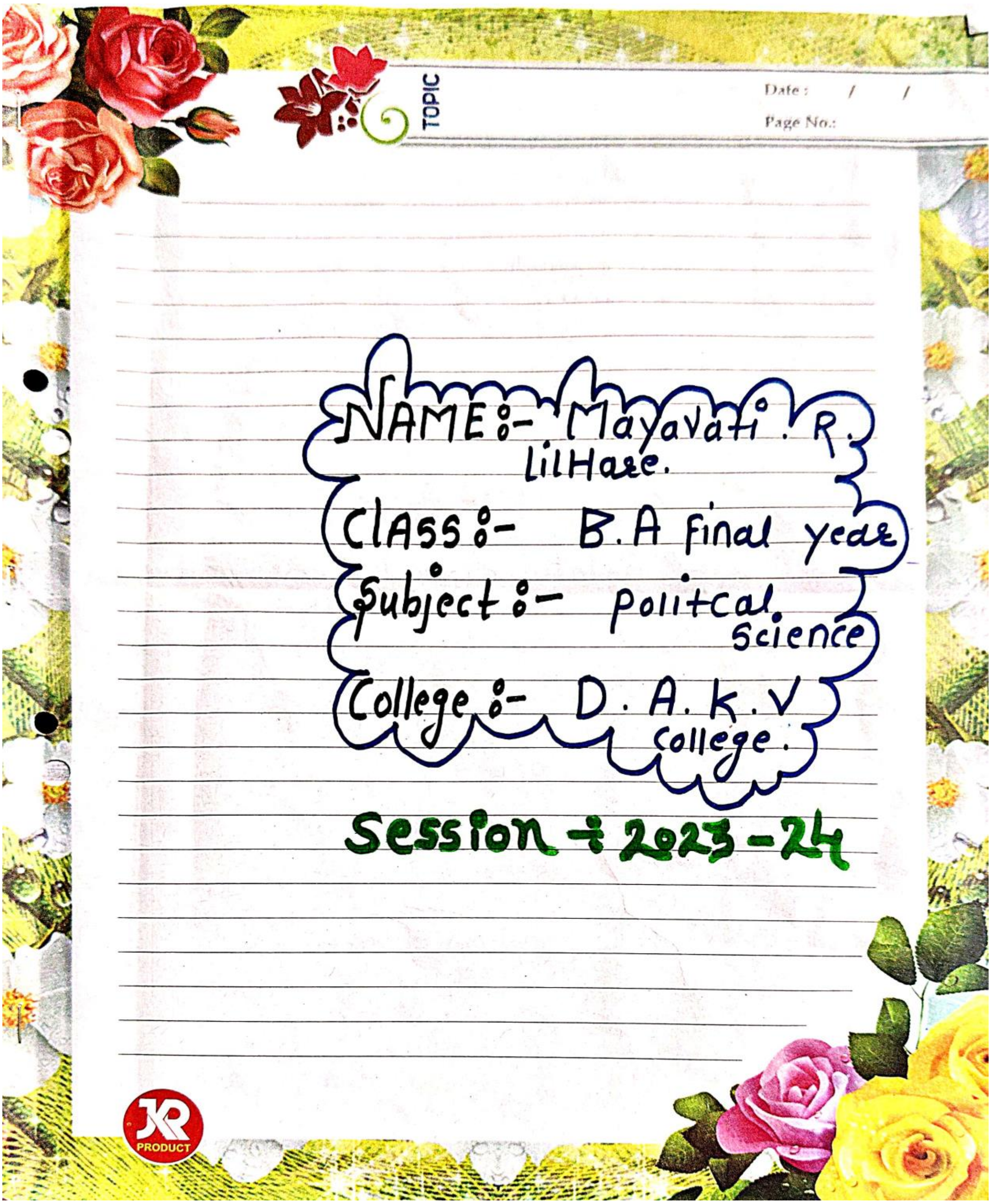
TOPIC

Date : / /

Page No.:

NAME :- Mayavati . R. LilHare.

ClASS :- B.A final year

Subject :- politcal science

College :- D.A.K.V College.

Session :- 2023-24

ARYA VIDYA SABHA'S

DAYANAND ARYA KANYA MAHAVIDYALAYA

Jaripatka, Nagpur.

'Political Science project'

Organised By

<u>Department of project</u>

<u>*CERTIFICATE*</u>

This is to certify that project work in the subject political science : entitles Pol. Sci. Human Rights ki reporthsa been successfully completed by ku. Mayavati R. Lilhare of B.A III Year during the Academic session 2023 -24 Hence the certificate is awarded to her.

Co-Ordinator	Principal
Dr. – Babita Thool	Dr. Chetna Pathak
Dept. of Pol. Sci	DAKM, Nagpur

Project Copy

क्रमांक	अनुक्रमणिका	प्र. क्र.
1	विषय का चुनाव	
2.	उद्देश्य	
3.	प्रस्तावना	
4.	अध्ययन प्रणाली	
5.	मानवीक हक का वैश्विक घोषणापत्र	
6.	विश्लेषण	
7.	निष्कर्ष	

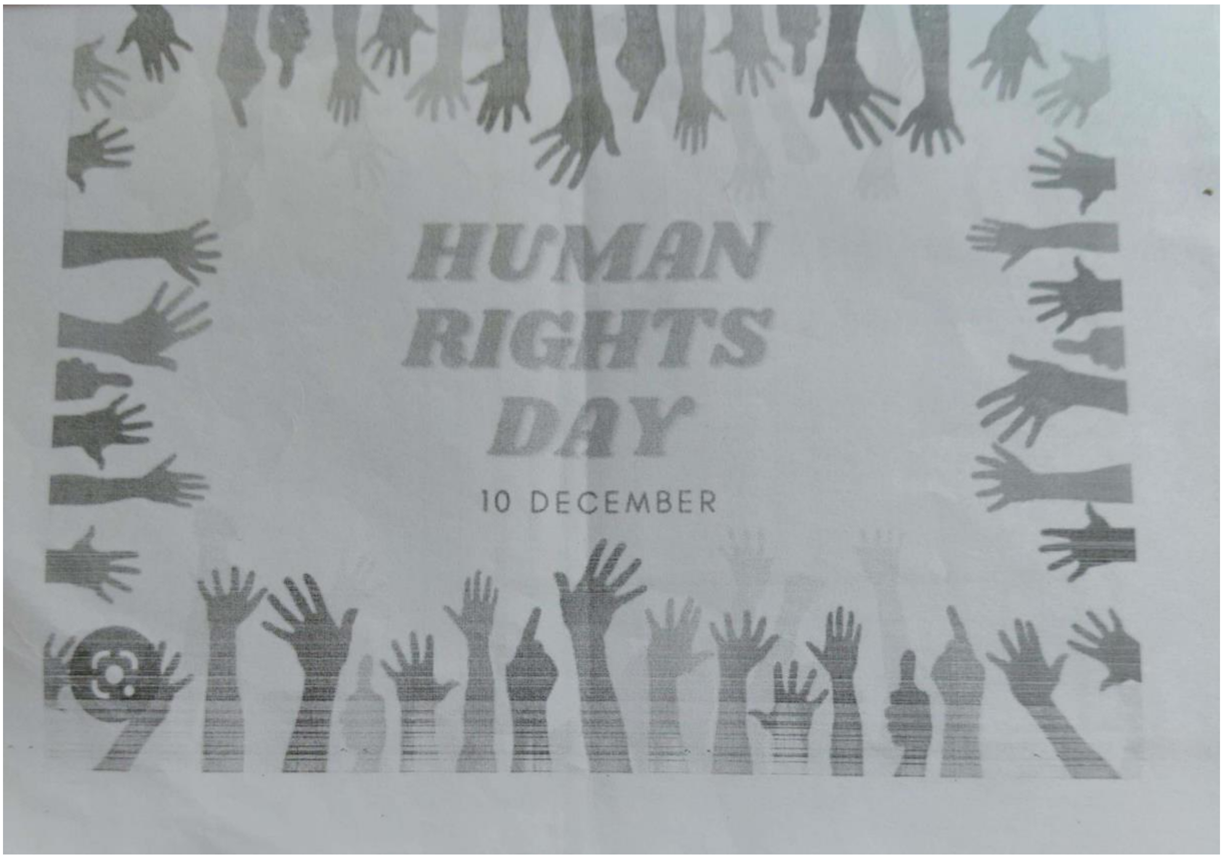
HUMAN
RIGHTS
DAY
10 DECEMBER

Date
Page No.

1) **विषय का चुनाव** :- वर्तमान में तथ्य को अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था करता है। इसी तरह से अंतराष्ट्रीय राजनिती में सभी राष्ट्रो को मानवधिकार संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मानवी हक के घोषणापत्र द्वारा दिए गए है। इस मानवी अधिकारों में राष्ट्रो की कौन-कौन से अधिकार दिए गए है इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत विषय का चुनाव किया जाएगा।

2) **उद्देश्य** :- ① मानवधिकार का अर्थ और परिभाषा समझना।

② मानवीय अधिकारों के प्रकारों का अध्ययन करना।

③ संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवीय अधिकार के घोषणापत्र का अध्ययन करना।

④ भारत के मानवीय अधिकार का अध्ययन करना।

3) **अध्ययन प्रणाली** :- प्रस्तुत विषय का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक शोध प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा इसमें वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाएगा इस विषय की जानकारी लेने हेतु तथ्य जुटाए जाएगे। तथ्य संकलन के द्वितीय स्त्रोतो का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें विभिन्न पुस्तकें, पत्र (वर्तमान पत्र) पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विषय की जानकारी ली जाएगी।

मानवाधिकार [Human Rights]

मानवी हक का वैश्विक घोषणापत्र

संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवी हक के प्रावधान हेतु आयोग का गठन किया आयोग ने तीन साल के विशेष परिश्रम लेकर 10 डिसेंबर 1946 को एक सार्वजनिक मसुदा प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उसे स्वीकृत कर 10 दिसंबर 1948 में वह मंजुर किया इसीलिए यह दिन वैश्विक मानवी हक दिन के रूप में मनाया जाता है।

इस घोषणापत्र में मानवी हक्क के संबंधित मनुष्य को जन्मजात प्रतिष्ठा स्वतंत्रता न्याय तथा शांतिता की नीव है परंतु समाज में ऐसा भी दिखाई देता है। कि मानवी हक से संबंधीत मनुष्य की घृणा तथा उपेक्षा भी की गयी है। ऐसे समाज में लोगो को भाषण की स्वतंत्रता तथापि भय व अभाव से मुक्ती मिलेगी यही सामान्य लोगो की आकांक्षा हेतु केवल मानवी हक प्रदान नहीं किये अपितु मानवी हक को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गयी है विश्व के राष्ट्रो में मित्रता के संबंध प्रस्थापित होना चाहिए। इस उदिष्ट से संयुक्त राष्ट्र की जनता ने इस घोषणापत्र मे मौलिक मानवी हक संबंधी अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। इसलिये सदस्य राष्ट्रोने यह प्रतिज्ञा कि है कि संयुक्त राष्ट्र के सहकार्य से मानवी हक तथा मौलिक स्वतंत्रता प्राप्ती और संप्रभुता गौरव भावना

का संवर्धन होगा. इस उदिष्ट से मानवी हक तथा स्वतंत्रता का परिचय होना महत्वपूर्ण है।

भारत में मानवी हक :- विभिन्नता में एकता होने वाले भारत में विभिन्न जाती धर्म, भाषा, संस्कृति भूप्रदेश होने के कारण किसी ना किसी कारणवश मानवी हक्क का हनन / पतन होते दिखाई देता है और इसलिये भारत में मानवी हक को विशेष महत्व है। भारत की परंपराएं व्यवस्था की व सांस्कृति जीवन की कुछ मुल्य [values] मानवी हक के विपरीत होते हुये भी कुछ हितसंबंधी समुह उसी को संवरने का प्रयास करते हुये दिखाई देते है परिणाम स्वरूप कुछ जनसमुदाय उपेक्षित जीवन जीने से बाधित होते है भारत की लोकसंख्या की मात्रा अधिक होने के कारण बेरोजगारी, गरीबी का प्रमाण भी ज्यादा है उसी के कारण अधिक मात्रा में लोग आर्थिक अभाव में जीवन बीता रहे है। तथापि धार्मिक अल्पसंख्याक समुह भयग्रस्त वातावरण में जीवन बीता रहे है तथापि दलीत, आदिवासी तथा अन्य पिछडा हुआ समाज भी आर्थिक अभाव में जीवन बीता रहे है. ऐसे अभाव ग्रस्त लोगों के लिये मानवी हक अर्थहिन होते हुये लगते है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोक - तांत्रिक शासन अपनाया है और लोकतंत्र में सभी नागरिकों का सहभाग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परिस्थिति में सभी उपेक्षित तथा अभाव ग्रस्त जीवन जीनेवाले समुदाय को सक्ष राजकिय प्रक्रिया में शामिल करना मानवी हक की दृष्टि से अधिक बेहतर होगा। परंतु भारत में प्रत्येक नागरिकी को मानवी हक का उचित उपभोग करवाना यह एक चुनौती थी। परंतु संविधान कर्ताओ ने मानवी हक की उपयोगिता हेतु संविधान में कुछ प्रावधान किये।

मानवी हक की सुरक्षा यंत्रणा :- व्यवस्थापि, कार्यपालिका न्यायपालिका, प्रशासन व पोलिस यंत्रणा, सुरक्षा दल इत्यादि परंपरागत यंत्रणा मानवी हक की सुरक्षा के लिये तो है। ही अपितु इसके अलावा कुछ विशेष यंत्रणा भी मानवी हक की सुरक्षा हेतु निर्माण किये गये है।

राष्ट्रीय मानवी हक आयोग :- 1993 के मानवी हक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह आयोग अधिक उच्चाधिकार प्राप्त है जैसे की कही मानवी हक के उल्लंघन की बात निर्देशन में आती है तो उसके विरुद्द ~~कारवाई~~ कारवाई की शिफारिस करता है। केंद्रसरकार राज्यसरकार या कोई भी संस्था

Date
Page No.

वा संघानो के संदर्भ में पुछताछ करने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है इनके अलावा न्याय प्रतिष्ठ प्रकरण में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है। मानवी हक की सुरक्षा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस आयोग में शिकायत कर सकता है। शिकायत के पश्चात आयोग तुरंत इसकी दखल लेता है।

२) राज्य मानवी हक आयोग :- राष्ट्रीय आयोग की तरह राज्य मानवी हक आयोग का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया है। मानवी हक सुरक्षा यंत्रणा अधिक कार्यक्रम है। तथापि उनका कार्य और तेजी से है। राष्ट्रीय मानवी हक आयोग की तरह इस आयोग को भी सत्ता तथा अधिकार दिये गये है।

मानवी हक सुरक्षा के संदर्भ में राज्य मानवी आयोग स्वतंत्र रूप से भी कार्य भी करता है। तथापि राष्ट्रीय आयोग को मदत भी करता है।

३) मानवी हक न्यायालय :- मानवी हक का उल्लंघन होते ही उनको तुरंत न्याय मिले इसीलिये मानवी हक न्यायालय का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से जिल्हे के सत्र न्यायालय को मानवी

हक न्यायालय का दर्जा भी दे सकता है। इस न्यायालय के लिये एक सरकारी वकील का भी प्रावधान किया गया है। मानवी हक का उल्लंघन होने पर व्यक्ति इस न्यायालय में अर्जीत करता है।

4) **मानवी हक न्यायालय** :- मानवी हक का अल्लघन होते है। उनको तुरंत न्याय मिले इसीलिये मानवी हक न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से जिल्हे के सत्र न्यायालय को मानवी हक न्यायालय का दर्जा भी दे सकता है इस न्यायालय के लिये एक सरकारी वकील का भी प्रावधान किया गया है। मानवी हक का उल्लंघन होने पर व्यक्ति इस न्यायालय में अर्जीत करता है।

5) **महिला आयोग** :- महिला हक सुरक्षा के लिये इस आयोग की स्थापना कि गयी है। 1990 के महिला सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना कि गयी है स्त्रीयों की प्रतिष्ठा स्त्रीयों का हक, शोषण अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध महिला आयोग का कार्य करने का अधिकार दिए गये है।

6) **अल्पसंख्याक आयोग** :- 1992 में संसद में अल्पसंख्याक सुरक्षा अधिनियम स्वीकृत किया। इस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्याक आयोग कि

स्थापना कि गयी । अल्पसंख्याको हक की सुरक्षा करने की द्वष्टि से यह आयोग का कार्य महत्वपूर्ण रहा है।

ब) अनुसुचित जाती जनजाती आयोग :-

इस प्रवर्ग के समुदाय हक का सुरक्षा तथा संवर्धन के द्वष्टि से इस आयोग का निर्माण किया गया है। इस प्रवर्ग के लो पिछडे हुये है तथापि वे अनेक सुविधा से वंचित है। उन्ही के हित संबंधो की सुरक्षा हेतु मानवी हक का उपभोग कर लेना चाहिए। ऐसा उदिष्ट इस आयोग ने रखा है तथापि उनका सर्वांगि विकास करवाकर उन्हे मुख्य प्रवाह में लाने के लिए यह आयोग विशेष प्रयास करती है।

1776 मे अमेरिकत स्वतंत्रता का घोषणापत्र प्रासिद्ध हुआ। इस घोषणापत्र के अनुसार संघराज्य के रूप में अमेरिका का स्वतंत्रता राज्य के रूप में घोषणा कि गई और उसी के तरह

7] **विश्लेषण** :- तथ्य संकलन करने के बाद उसका विश्लेषण करके उसका एक निष्कर्ष निकाला जाएगा।

8] **निष्कर्ष** :- मानवी हक्क से संबंधित मनुष्य को जन्मजात प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, न्याय तथा शांतता की नींव है परंतु समाज मे ऐसा भी दिखाई देता है कि मानवी हक्क से संबंधित मनुष्य की घृणा तथा उपेक्षा भी कि गई है ऐसे समाज में लोगों की भावना की स्वतंत्रता धर्म स्वतंत्रता तथापि भय व अभाव से मुक्ती मिलेगी यही सामान्य लोगो की आकांक्षा हेतु केवल मानवी हक्क को कानूनी, सुरक्षा भी प्रदान की गई है विश्व के राष्ट्रों में मित्रता के संबंधित प्रस्थापित होना चाहिए। इस उद्दिष्ट से संयुक्त राष्ट्र की जनता ने इस घोषणापत्र में मौलिक अधिकार हक्क सम्बन्धी अपना पूर्ण विश्वास किया

संदर्भ :- तुलनात्मक शासन तथा राजनिती और आंतरराष्ट्रीय संबंध
डॉ. शिला संजय खेडीकर